27.4.22

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से बहस बाद, संलग्न अभिलेख का अवलोकन तथा वादी अभिभाषक की बहस पर मनन किया जाकर पृथक से निर्णय जारी किया जाकर पत्रावली नतीजा शुमार बाद दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला ..सवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:18:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 118/2016

<u>उनवान</u>

(1) मोहनलाल पिता श्री फुलचन्द सोनी निवासी जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) जितेन्द्र कुमार पिता शम्भुलाल दोसी निवासी जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) मोतीसिंह पिता किशोरसिंह चुण्डावत निवासी टामटिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) गोपाल पिता कृष्णलाल दोसी निवासी जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) अनील कुमार पिता विपीनचन्द्र शाह निवासी जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) तहसीलदार, गढी तहसील गढी हॉल तहसीलदार, अरथूना जिला बांसवाडा।
(2) सरपंच, ग्राम पंचायत जौलाना। (आदेश 01 नियम 10 C.P.C.)

—: प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत 88 R-T- Act- , 136 L-R- Act.</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 27.4.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भुखण्ड ग्राम जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा के आराजी नम्बर 1325 रकबा 5 बीघा मे स्थित है। उक्त भुमि श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाडा के आदेश क्रमांकः F12/5/राज./1482–83 दिनांक 12.04.1985 के द्वारा ग्राम जौलाना का आराजी नम्बर 1325 रकबा 5 बीघा ग्राम पंचायत जौलाना को आबादी विस्तार हेतु आवंटीत की गई थी व उक्त आदेश की पालना मे ग्राम पंचायत जौलाना द्वारा प्रिमीयम राशि रूपया 1250/– दिनांक 27.02.1986 को जरिये चालान जमा करवा दिया। ग्राम पंचायत जौलाना द्वारा उक्त भुमि पर मास्टर प्लान बनाकर नियम अनुसार निलामी कर वादीगण को भुखण्ड विक्रय कर पट्टे जारी किये गये है। क्रय करने की दिनांक से वादीगण उपरोक्त भुखण्डो पर काबिज होकर इनका उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने उपरोक्त भुखण्डों पर मकान निर्माण करने ग्राम पंचायत मे तामीर स्वीकृति चाही तो पटवारी रिपोर्ट लेने पर उक्त भुमि राजस्व रेकार्ड में श्रीसरकार ही दर्ज रेकार्ड मिली। श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेश की आज तक पालना नही की गई। जिस वजह से भुमि राजस्व रेर्काड में श्रीसरकार दर्ज चली आ रही है। राजस्व की उक्त त्रुटी को दुरस्त कर वादीगण को उक्त भुमि में अपने हिस्से का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भुमि ग्राम पंचायत आबादी दर्ज रेकार्ड की जानी आवश्यक है। इस हेतु दावा हस्ब धारा 88 रा.का.अ. के तहत पेश है। राजस्व की उक्त त्रुटी को दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे श्रीसरकार की जगह ग्राम पंचायत आबादी दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस हेतु 136 L-R-Act के तहत वाद पेश है। वादीगण को उक्त भुमि राजस्व रेकार्ड में श्रीसरकार दर्ज होने से तामीर स्वीकृति नही [illegible] ऋण मिल रहा है। जिस वजह से वादीगण अत्यन्त परेशानियों का सामना [illegible] वादीगण ने करीब 15 रोज पुर्व तामीर स्वीकृति हेतु आवेदन करने [illegible] जानकारी होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ [illegible] के पिता कृ[illegible] की मृत्यु होने पर एवं अनील कुमार के पिता विपीनचन्द्र की मृत्यु [illegible] पिता शम्भुलाल के पिता की मृत्यु होने पर एकमात्र उत्तराधिकारी होने से उनके द्वारा दावा पेश [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:18:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार के नाम सम्मन जारी किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब प्रस्तुत होकर वादी

[illegible]खण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

अभिभाषक ने दस्तावेज पेश करने समय चाहतें हुऐ आदेश 01 नियम 10 C.P.C. का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत जौलाना को पक्षकार बनाने निवेदन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत जौलाना को पक्षकार बनाया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जौलान के नाम सम्मन जारी किया जाने पर सरपंच, ग्राम पंचायत जौलाना ने अपना अपना जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत जौलाना के नाम दर्ज करवायें जाने के आदेश जारी कराने निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब, वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद-पत्र एंव पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का संक्षिप्त अवलोकन तथा वादीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन् करने पर पाया गया कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 12 (5)राजस्व/77/1482-83 दिनांक 12.4.1985 द्वारा ग्राम पंचायत जोलाना को मौजा जौलाना की आराजी नम्बर 1325 रकबा 05 बीघा, आराजी नम्बर 1359 रकबा 02 बीघा कुल किता दो रकबा 07 बीघा भूमि ग्राम पंचायत जौलाना के आबादी विस्तार हेतु आंवटित की जाकर आवंटन आदेश की शर्त संख्या 2 अनुसार रू0 1,750/- प्रीमियम जमा कराने पर तथा शर्त संख्या 3 अनुसार प्रीमियम राशि जामा होने के पश्चात उक्त आवंटित भूमि की निशानदेही कर ग्राम पंचायत को कब्जा सुपुर्द करने निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत जौलाना द्वारा सर्वे नम्बर 1325 रकबा 5 बीघा भूमि की प्रीमियम राशि रू0 1250/- जरिये चालान दिनांक 27.2.1986 द्वारा जमाकोष कराई गई। ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 7 (187) एल.एस.सी./5811 दिनांक 8.11.59 के अनुसार आंवटित भूमि के निस्तारण हेतु बाध्यकारी किया गया है।

उपरोक्त आदेश में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन निहित शर्तो के तहत ग्राम पंचायत जौलाना को केवल आबादी विस्तार हेतु किया गया। जिससे सशर्ताधीन वैधानिक रूप से स्वत्व ग्राम पंचायत जौलाना में निहित होता है न कि वादीगण को व्यक्ति विशेष के रूप में कोई स्वत्वाधिकार निहित होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर अन्तर्गत धारा 88, राज0 काश्तकारी अधिनियम, 136 भू-राजस्व अधिनियम प्रमाणित नही होने के कारण निरस्त योग्य पाते है। लिहाजा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादा-पत्र धारा 88, राज0 काश्तकारी अधिनियम, 136 भू-राजस्व अधिनियम निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी हॉल अरथूना को निर्देश दिए जाते हैं कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा के आदेश कमांक 12 (5)राजस्व/77/1482-83 दिनांक 12.4.1985 में वर्णित शर्तो की पालना के सन्दर्भ में समुचित परीक्षण करें तथा यदि ग्राम पंचायत जौलाना द्वारा सम्पूर्ण शर्तो की पालना की गई है तो नियमानुसार आवंटित भूमि का आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत जौलाना के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही कर इस न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 27.4.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:18:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner